मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./केन्द्रीय भण्डार/726/2024/124 भोपाल, दिनांक 27/05/2024

प्रति,

Central Govt. Employees Consumer Coop Society (Kendriya Bhandar),
Head Office - Pushpa Bhawan, Madangir Road, New Delhi-110062

Local Address - 416, Rachna Nagar, Bhopal-462023 (Madhya Pradesh)
GSTIN - 23AAAFC5403F2Z6

विषय - मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति के संबंध में।

संदर्भ - आपका आवेदन दिनांक **17.05.2024**।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 32-क के अधीन निर्मित नियम मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के तहत विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु **Central Govt. Employees Consumer Coop Society (Kendriya Bhandar)** से संदर्भित आवेदन प्राप्त हुआ है।

2. संदर्भित आवेदन के माध्यम से मध्यप्रदेश की समस्त विनिर्दिष्ट कृषि उपज मण्डी समितियों में अधिसूचित समस्त कृषि उपज का कारोबार करने हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है।

3. आवेदन पर विचारोपरांत **Central Govt. Employees Consumer Coop Society (Kendriya Bhandar)** को नियम 2009 के तहत उक्त बिंदु 2 में अंकित मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने का विनिश्चय किया गया है। **विशेष अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र** प्रसारित किया जा रहा है। अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम क्रय मात्रा के संबंध में नियम 2009 की कंडिका 4(2) के प्रावधान लागू रहेंगे।

4. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कृषकों को कृषि उपज का भुगतान एवं मंडी समिति/शासन के शोध्यों का भुगतान नियत समयसीमा में करना अनिवार्य होगा।

5. क्रय केंद्र स्थापना के संबंध में नियम 2009 के नियम 8(6) तथा नियम 8(7) के प्रावधान लागू होंगे तथा क्रय केंद्र पर नियम 10 के अधीन प्रसुविधाओं का सृजन करना अनिवार्य होगा।

mail

6. अधिनियम, नियम, उपविधि, के प्रावधानों तथा ई-अनुज्ञा पोर्टल पर कार्य करने के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना बंधनकारी होगा।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

27/05/24

(श्रीमन् शुक्ला)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./केन्द्रीय भण्डार/726/2024/125 भोपाल, दिनांक 27/05/2024

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त संचालक, म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय__________(समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। अनुज्ञप्तिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराया जाएं। आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मंडी समिति को दी जाएं।

2. सचिव कृषि उपज मंडी समिति__________जिला__________, म. प्र. (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. सहायक संचालक (आईटी शाखा), म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारी **Central Govt. Employees Consumer Coop Society (Kendriya Bhandar)** भोपाल को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति की ई-अनुज्ञा पोर्टल मे आवश्यक प्रविष्टि की जाएं।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

परिशिष्ट-अ

प्रारूप - तीन

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय

किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2024/43

दिनांक 27/05/2024

(एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों मे अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति)

Central Govt. Employees Consumer Coop Society (Kendriya Bhandar), पता-416 रचना नगर, भोपाल-462023 (म.प्र.) को अधिनियम की धारा 32-क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार हेतु तारीख......27......माह ......मई...... वर्ष 2024 को विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है :-

अनु क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/की गई है।	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
	समस्त अधिसूचित कृषि उपज	समस्त अधिसूचित मंडी क्षेत्र	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति समस्त	-	केन्द्रीय भण्डार, पता-416 रचना नगर, भोपाल-462023 (म.प्र.)	श्री विकास गुप्ता-मो.नं.-9425775554

2. इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष मे समस्त क्रय केन्द्रो मे मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करे:

अनु क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मे0टन में {नियम 4 (2) देखिए}
1	समस्त अधिसूचित कृषि उपज	नियम 4 (2) अनुसार

3. अनुज्ञप्तिधारी, इस अनंतिम अनुज्ञप्ति के दिये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगाः-

1. इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज
2. पेयजल की समुचित व्यवस्था
3. समुचित प्रकाश व्यवस्था
4. पुरूष/महिला के लिये शौचालय की सुविधा
5. शेड की व्यवस्था
6. कृषको के लिये छायादार विश्राम स्थल
7. भुगतान काउन्टर
8. टेक्टर ट्राली की पार्किग की समूचित व्यवस्था
9. नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये उपकरण तथा मानव शक्ति
10. प्रवेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तथा तौल काउन्टरों/ क्षेत्रों पर सीसीटीव्ही कैमरे स्थापना।
11. क्रय-विक्रय लेखा की मैन्युअल के साथ ही डिजीटल बैकअप प्रणाली संधारण।

4. यह विशेष अंनतिम अनुज्ञप्ति दिनांक 27/05/2024 से 26/05/2025 तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रदद की जा सकेगी।

5. यह अंनतिम अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रदद की जा सकेगी:-

(एक) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र मे कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर,

(दो) मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर,

(तीन) मण्डी फीस का अपंवचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर,

(चार) मण्डी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाये जाने पर,

(पॉच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियों प्रस्तुत न करने पर,

(छ) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर,

(सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किये जाने पर

27/05/24

अनुज्ञप्ति जारीकर्ता कार्यालय की मोहर

अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी

अधिसूचित प्राधिकारी/ सह आयुक्त

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

भोपाल (म.प्र.)